(12)

(1) Deputy Director of Census Operations or Under Secretary Office of the Registrar General, India	—Chairman
(2) Assistant Director of Census Operation (Technical)	—Member
(3) A Group 'A' officer of another Central Government Office	—Member

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the respective Offices of the Director of Census Operations for confirmation) consisting of :—

(1) Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations	—Chairman
(2) Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical)	—Member
(3) A Group 'A' officer of another Central Government Office	—Member

[F. No. A-51011/2/2011-Ad. V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2011

सा. का. नि. 328.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अभिलेख सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2006 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अभिलेख सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, अभिलेख सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयनं पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अभिलेख सहायक	01* (2011) (*कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है) ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	पे बैंड-3, रु. 29300-34800 (ग्रेड पे 4200 रु.)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	पुनर्नियुक्त सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत अधिकारी : क (i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदर्श पदधारण किए हों; अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में ग्रेड पे 2800 रु. सहित पे बैंड-1, 5200-20200 रु. या समकक्ष में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में छः वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ; (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री, (ii) वार्षिक निष्पादन निर्धारण रिपोर्टों सहित गोपनीय प्रकार के अभिलेखों के रखरखाव, रिकार्डिंग और मानीटरिंग का दो वर्ष का अनुभव । सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए : कनिष्ठ कमीशंड अधिकारी के रैंक के सशस्त्र सेना कार्मिक जो सेवानिवृत होने वाले हैं अथवा एक वर्ष की अवधि के अन्दर रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों, पर भी विचार किया जाएगा । यदि चयन हो जाता है तो उन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की नियुक्ति की शर्तों पर उस तारीख तक रखा जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र सेना से कार्यमुक्त होने वाले होंगे उसके बाद वे पुनर्नियुक्ति की शर्तों पर कार्य करते रहेंगे । यदि ऐसे

(34)

(11)

	पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व के लिए स्थानान्तरित हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियुक्ति के आधार पर होगी । **टिप्पणी :** सिविल पद के सन्दर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियुक्ति । (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति(अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं चाहिए ।) **टिप्पणी :** प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा वह तिथि जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया, की गई नियमित सेवा को तदनुरूपी ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड में समान ग्रेड पे या वेतनमान में आमेलित कर दिए गए हैं; और जहां यह लाभ केवल उन पदों को मिल रहा है जिनके लिए उक्त ग्रेड पे या वेतनमान बगैर किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड के हैं ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पुनर्नियुक्त सशस्त्र सेना कार्मिक के स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) में शामिल पदाधिकारी : 1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य 3. उप सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-16011/8/2003-प्रशा. 2/5]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

New Delhi, the 29th November, 2011

G. S. R. 328.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India, Record Assistant Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Record Assistant in the Office of the Registrar General, India, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India Record Assistant, Group 'B' post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—The number of post, its classification and the Pay Band and Grade Pay of pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment,age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and Grade Pay or pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Record Assitant	1*(2011) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-2, Rs. 9300-34800 (Grade pay of Rs. 4200)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for re-employed Armed Forces personnel

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to the filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By deputation/Absorption for Armed Forces personnel : Deputation/Re-employment	**Deputation/Absorption :** Officers under the Central Government or State Government or Union Territories : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after apointment thereto on regular bais in posted in the Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and

(36

	(11)
	(b) possessing the following educational qualifications and experience; (i) Degree of a recognised University. (ii) two years' experience in maintenance, recording and monitoring of records of confidential nature including Annual Performance Assessment Reports (APARS). For Armed Forces Personnel The Armed Forces personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the educational qualification and experience prescribed for deputation shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. **Note :** Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil post. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceed 56 years as on the closing date of the receipt of applications). **Note :** For the purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of the re-employed Armed Forces Personnel) consisting of :— 1. Registrar General, India —Chairman 2. Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India —Member 3. Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-16011/8/2003-Ad. II/Ad. V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

4226 GI/11-2